बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि **10 चैत्र, 1939 (श.)** / **31 मार्च, 2017 ई.**

प्रश्नों की कुल संख्या – 11

1.	शिक्षा विभाग	-	-	09
2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	02
			कुल योग –	11

निलंबित कबतक

257. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुंगेर के ज्ञापांक-635, दिनांक 27.10.16 को सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, ज्ञापांक-569, दिनांक 21.9.16, जो प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, जिलाधिकारी, मुंगेर एवं सचिव पंचायती राज, बिहार, पटना एवं ज्ञापांक 630, दिनांक 28.10.16, जो निदेशक (मा. शि.) बिहार, जिलाधिकारी, मुंगेर एवं आर.डी.डी., मुंगेर के नाम संबोधित (प्रेषित) पत्र है। उक्त पत्रों में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने से संबंधित पत्र है, जिसपर विभाग द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल के पत्रांक-114, दिनांक 13.10.2016, जो निदेशक (प्रशासन), बिहार, पटना के नाम से संबोधित है, उस जांच प्रतिवेदन के पत्रांक-29, दिनांक 20.02.16 में प्रपत्र 'क' गठित करने एवं वर्णित बिन्दुओं पर भी डी.ई.ओ., मुंगेर पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन विभाग द्वारा इसपर भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को अविलंब निलम्बित करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शौचालय निर्माण

258. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी अनुदानित उच्च माध्यमिक एवं सरकारी विद्यालयों में शौचालय एवं पेशाबघर के निर्माण हेतु कोई ठोस नीति नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस संबंध में क्या और कौन-सा नीतिगत निर्णय लेना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रिक्त पदों पर नियुक्ति

259. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुख्यालय सहित सभी मुफस्सिल कार्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीयकृत / परियोजना माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालयों में सृजित एवं रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

फीस वृद्धि पर रोक

260. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के सभी जिलों में निजी स्कूलों की फीस में हर वर्ष वृद्धि होती रहती है, फीस बढ़ोत्तरी का कोई मानक निर्धारण सरकार की ओर से नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि निजी स्कूलों के द्वारा पुस्तक, ड्रेस एवं अन्य सामग्री बाजार भाव से अधिक दर पर बच्चों को मुहैया कराई जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निजी स्कूलों की बढ़ती फीस का मानक कब तक निर्धारण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उच्च स्तरीय जांच

261. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा के जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थापना के ज्ञापांक-2838, दिनांक 29.12.2016 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर स्थानांतरण की गई है, उसमें निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का पालन किया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुंगेर के ज्ञापांक-3369, दिनांक 29.12.2012 को आधार मानकर ज्ञापांक-2838, दिनांक 29.12.2016 की प्र.अ. के स्थानांतरण में प्रोन्नति सूची का अनुपालन करना था, जो किया गया क्या;

(ग) क्या यह सही है कि प्रा.अ. स्थानांतरण में निदेशक (प्रा.शि.) के ज्ञापांक 102, दिनांक 30.01.2013 के आदेश की जिला शिक्ष पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा धज्जियां उड़ाई गई हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धांधली में लिप्त पदाधिकारी को निलंबित करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रोन्नति को रद्द करना चाहती है?

दंडात्मक कार्रवाई

262. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना सदर अंतर्गत गेट नं.-90, मखदूमपुर में इन्द्र प्र. सिंह गंगास्थली उच्च माध्यमिक विद्यलालय की प्राचार्या द्वारा छात्राओं के विद्यालय प्रांगण में अवैध रूप से सरकारी राशि से स्थानीय दबंग असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से दुकान का निर्माण करा दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की प्राचार्या लगभग दो माह में सेवानिवृत्त हो रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में निर्मित दुकान की सूचना संबंधित विभाग को दी गई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित विद्यालय प्रांगण में दुकान निर्माण करने वाली प्राचार्या एवं दबंग असामाजिक तत्वों पर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अधिग्रहण कबतक

263. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटर एवं डिग्री कॉलेजों से वित्तरहित उक्त वर्णित शिक्षण संस्थानों में बेहतर पढ़ाई होती है, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचनाएं एवं सरकार की सभी अर्हताएं ठीक हैं, किन्तु उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर रहने के कारण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का भविष्य अंधकारमय है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में सभी शर्त्तों को पूरी करने वाली वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को अधिग्रहण करने का विचार रखती है, ताकि उन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का भविष्य संरक्षित हो सके?

नियुक्ति प्रक्रिया नहीं

264. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यालय सहायक, आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी की नियुक्ति प्रक्रिया वर्षों से बन्द है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु कार्यालय सहायकों, आदेशपालों एवं रात्रि प्रहरियों की नियुक्ति कबतक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

संपर्क पथ का निर्माण

265. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय नगर परिषद् कमलेश्वर नाथ वनखण्डी हनुमान मंदिर का धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत न्यास का गठन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातात्विक दस्तावेजों के अनुसार उक्त मंदिर का निर्मण पालवंश के शासकों के द्वारा किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि मंदिर की भूमि का अतिक्रमण के कारण मंदिर तक जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है;

(घ) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल पदाधिकारी को मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निदेश देने के बावजूद स्थिति यथावत् है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर का विकास एवं अतिक्रमण से मुक्त कराकर सम्पर्क पथ का निर्माण कबतक करना चाहती है?

मैदान खटाल से मुक्त कबतक

266. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत चौक शिकारपुर के राजकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल मैदान में जानवरों का खटाल है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम की ओर से खेल मैदान में कूड़ा गिराया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्कूल स्थित खेल मैदान को पशुओं के खटाल से मुक्त करते हुए मैदान को विकसित एवं सुसज्जित करना चाहती है, यदि हां तो कैसे, नहीं तो क्यों?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

267. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षा को बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में संविलयन के अनुरूप ही राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षकों की सेवा का भी संविलयन 01.01.1977 से हुआ;

(ख) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च विद्यालय के संविलयित सहायक शिक्षकों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया, जबकि संस्कृत उच्च विद्यालय के संविलयित शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च विद्यालय एवं राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के संविलयित कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को कनीय/वरीय/वरीयता प्रवर कोटि में वेतन निर्धारण का भुगतान अबतक लम्बित है;

(घ) क्या यह सही है कि कतिपय सहायक शिक्षक आर्थिक लाभ से वंचित रहने के कारण अर्थाभाव में दिवंगत हो गए हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उन्हें आर्थिक लाभ देना चाहती है तथा दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार

पटना

सचिव

दिनांक : 31 मार्च, 2017

बिहार विधान परिषद्